राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
506, चतुर्थ मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

एफ 1(1) वि.प्रौ./संस्था/2015/ दिनांक 10-6-15

विज्ञप्ति

राजस्थान सिविल सेवा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों तथा अनुसंधान अधिकारियों के विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्ते) नियम 1986 (समय–समय परं यथा संशोधित) के अन्तर्गत इस विभाग में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों के अस्थाई, संभावित रिक्त पदों पर विशेष चयन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राजकीय उपक्रम, स्वशासी निकायों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं, के अधिकारियों से निर्धारित प्रपत्र में **दिनांक 30.06.2015** तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इन पदों के लिये केवल ऐसे अधिकारी, जिन्हे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का अनुभव हो तथा पैतृक विभाग में मूल पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो, आवेदन के पात्र होंगे।

इन पदों हेतु संभावित रिक्तियों की संख्या, नियुक्ति की शर्ते, पात्रता के मापदंड एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.dst.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रमुख शासन सचिव

DRAFT

राजस्थान सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
506, चतुर्थ मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर

एफ 1(1) वि.प्रौ./संस्था/2015/ दिनांक :

कार्यालय ज्ञापन

विषय :– परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति बाबत।

राजस्थान सिविल सेवा (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परियोजना निदेशकों, परियोजना अधिकारियों तथा अनुसंधान अधिकारियों के विशेष चयन तथा सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1986 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत इस विभाग में निम्नांकित अस्थाई, संभावित रिक्त पदों पर विशेष चयन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, राजकीय उपक्रम, स्वशासी निकायों, विश्वविद्यालयो, अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं, के अधिकारी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को संलग्न अनुसूची के अनुसार योग्यता रखते है, से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इन पदों के लिये केवल ऐसे अधिकारी, जिन्हे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का अनुभव हो तथा पैतृक विभाग में मूल पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो, आवेदन के पात्र होंगे।

क्र.सं.	पद का नाम	पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार		सम्भावित रिक्तियां
		ग्रेड पे संख्या	रंनिग पे बैड	
1	परियोजना निदेशक	21	पी.बी. –3 15600–39100	4
2	परियोजना अधिकारी	16	पी.बी. –3 15600–39100	8
3	अनुसंधान अधिकारी	15	पी.बी. –3 15600–39100	19

नोटः– संभावित रिक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णयानुसार परिवर्तित हो सकती है।

राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/नियुक्ति प्राधिकारी की अभिशंसा सहित तथा राजकीय उपक्रमों, स्वशासी निकायो, विश्वविद्यालयो, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थाओं मे कार्यरत अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र उनके प्रशासनिक प्रमुख/ विभागाध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी के माध्यम से इस विभाग में प्रेषित किये जाने चाहिये। आवेदन पत्र इस विभाग में **दिनांक 30.06.2015** तक प्राप्त हो जाना चाहिए। **समस्त पदों हेतु आवेदन पत्र कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कमरा नम्बर 8202, उत्तरी–पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर के पते पर प्रेषित किये जायेगें।** अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति (जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, रंनिग पे बैण्ड तथा ग्रेड पे एवं वेतन (रनिंग पे+ग्रेड पे) आदि के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ) इस विभाग में, निर्धारित अन्तिम दिनांक से पूर्व प्रेषित कर देना चाहिये। इस दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियुक्ति की शर्तें, पात्रता के मापदंड एवं आवेदन पत्र का प्रोफार्मा विभागीय वेबसाईट www.dst.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नियुक्ति की शर्तें

1. इस पदों पर नियुक्ति उपरोक्त वर्णित सेवा नियम, 1986 के प्रावधान की जायेगी। यह नियुक्ति इस विभाग में "अस्थाई / प्रतिनियुक्ति" के आधार पर होगी तथा चयनित अभ्यार्थियों का ग्रहणाधिकार (लियेन) उनके पैतृक विभाग / संस्थान में मूल पद पर बना रहेगा।
2. पंजीकृत स्वैच्छिक एजेंसियां (जो कम से कम 10 वर्षो से पंजीकृत तथा कार्यरत हो), के ऐसे कर्मकार जो निर्धारित एवं वांछित योग्यता, अनुभव, आयु आदि की शर्ते पूरी करते हो, का ग्रहणाधिकार (लियेन) यदि उनके पैतृक संस्थान के द्वारा बनाये रखा जाता है तो उनकी नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी। ऐसे अभ्यार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ, उनके पैतृक स्वैच्छिक संगठन का न्यूनतम 10 वर्ष से पंजीकृत एवं कार्यरत होने का प्रमाण पत्र / स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, आयोजना विभाग राजस्थान से प्रमाणन तथा संस्थान द्वारा अभ्यार्थी का लियेन रखने का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार किया जायेगा।
3. इन पदों पर नियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी। परन्तु प्रारम्भ में नियुक्ति एक वर्ष के लिये ही की जायेंगी। यह नियुक्ति राज्य सरकार के विवेक पर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। नियुक्ति की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी को उनके पैतृक विभाग / संस्थान मे मूल पद प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया जायेगा।
4. चयन के पश्चात इन पदों पर जो अधिकारी नियुक्त एवं पदस्थापित किये जायेंगे, वे पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन (रिवर्शन) पर पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन लाभ आदि किसी भी प्रकार के हक (क्लेम) के अधिकारी नहीं होगे।
5. इन पदों पर चयनित अधिकारी, राजस्थान में कहीं भी पदस्थापित किये जा सकेंगे।
6. साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने पर अभ्यार्थियों को इस विभाग द्वारा कोई यात्रा भत्ता / मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
7. इन पदों पर नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें अंतिम रूप से चयन के समय सूचित कर दी जायेगी जो सक्षम अनुमोदन के अध्यधीन होगी।
8. कार्य मूल्यांकन के आधार पर वर्तमान नियमों में 3 वर्ष के विस्तार का प्रावधान है, जो नियमों में संशोधन के साथ बदल सकता है। प्रस्तावित अधिकतम समयावधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वयं समाप्त समझी जायेगी। परन्तु सभी आवेदक पाँचों क्षेत्रीय कार्यालय की अपनी पसंद की वरीयता का अंकन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगें। यथा – जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा।
9. सभी अभ्यार्थियों द्वारा अपनी विशेष योग्यता, दक्षता और उनके द्वारा किये गये विशेष कार्यो की सूची संलग्न की जाये।
10. निर्धारित अर्हताऐं:– पे बेण्ड से कम अथवा ज्यादा के आवेदक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में योग्यता, दक्षता एवं उपयोगिता का ध्यान में रखते है। चयन समिति द्वारा वेतन, आयु एवं अनुभव में छूट दी जा सकती है।
11. विभागीय आपत्ति व अन्य मूल प्रमाण पत्र नियुक्ति से पूर्व किसी भी समय प्रस्तुत किये जा सकते है, आवेदन के साथ आयु, शिक्षा एवं अनुभव का स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्र ही देना होगा, मूल प्रति का सत्यापन इन्टरव्यू / नियुक्ति से पूर्व करवाना अनिवार्य होगा।
12. **गत् 5 वर्षों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी साक्षात्कार से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।**
13. विशिष्ट योग्यता एवं विशेष विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जा सकती है।

प्रमुख शासन सचिव

अनुसूची

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु

पात्रता के मापदंड

क्र.सं.	सेवा अथवा पद अथवा संस्थान का नाम जिसके सदस्य अथवा पदधारक विचार हेतु पात्र है तथा उनकी शैक्षिक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव का विवरण	वेतनमान अथवा न्यूनतम मूल वेतन की पात्रता हेतु शर्ते
1	2	3
अ	**परियोजना निदेशक** **(न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 30–45 वर्ष)**	
1	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी	
	(क) राज्य सरकार के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले	राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के यथा विहित चालू वेतन बैंड (पी.बी.3) 15600–39100 में 21210/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 6000/– रू. का ग्रेड वेतन =27210 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
	(ख) यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले	उपरोक्तानुसार
2	राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायो के, राज्य सरकार के पेटर्न के अनुरूप वेतन आहरित करने वाले स्थायी कर्मचारी जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।	उपरोक्तानुसार
3	भारत सरकार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायो तथा केन्द्रीय ब्लिक सैक्टर उपक्रमों के, स्थायी कर्मचारी जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।	उपरोक्तानुसार
4	भारत में विधि द्वारा स्थापित (समझे गये विश्वविद्यालयो सहित) किसी विश्वविद्यालय के रीडर/प्राध्यापक, जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर या संविदा (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी।	उपरोक्तानुसार
5	पंजीकृत स्वैच्छिक एजेन्सियों (जो कम से कम 10 वर्षो से कार्यरत हो), के कर्मकार जो (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई डिग्री के धारक हो तथा जिन्हें (ख) विज्ञान और/या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का न्यूनतम 7 वर्षो का अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों की विभाग में नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी।	

ब परियोजना अधिकारी

(न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 28–45 वर्ष)

1	राज्य सेवा के समस्त अधिकारी	
	(क) राज्य सरकार के वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले	राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के यथा विहित चालू वेतन बैंड (पी.बी.2) 9300–34800 में 15070/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 4200/– रू. का ग्रेड वेतन =19270 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
	(ख) यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले जिन्हे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो	चालू वेतन बैंड (पी.बी.3) 15600–39100 में 15600/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 6000/– रू. का ग्रेड वेतन =21600 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
2	राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा स्वशासी निकायो के, राज्य सरकार के पेटर्न के अनुरूप वेतन आहरित करने वाले स्थायी कर्मचारी जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो।	चालू वेतन बैंड (पी.बी.2) 9300–34800 में 15070/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 4200/– रू. का ग्रेड वेतन =19270 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
3	भारत सरकार के या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायो तथा केन्द्रीय ब्लिक सैक्टर उपक्रमों के, स्थायी कर्मचारी जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 3 वर्ष का अनुभव हो।	उपरोक्तानुसार
4	भारत में विधि द्वारा स्थापित (समझे गये विश्वविद्यालयो सहित) किसी विश्वविद्यालय के रीडर/प्राध्यापक, जिन्हे विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति इस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर या संविदा (कान्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी।	चालू वेतन बैंड (पी.बी.3) 15600–39100 में 15600/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 6000/– रू. का ग्रेड वेतन =21600 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
5	पंजीकृत स्वैच्छिक एजेन्सियों (जो कम से कम 10 वर्षो से कार्यरत हों), के कर्मकार जो	
	(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई डिग्री के धारक हो तथा जिन्हें	
	(ख) विज्ञान और/या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य का न्यूनतम 5 वर्षो का अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों की विभाग में नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी।	

स अनुसंधान अधिकारी

(न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा 25–40 वर्ष)

1	विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री या किसी पॉलीटेक्नीक से द्वितीय श्रेणी में डिप्लोमा तथ निम्नांकित में से कोई :–	
	(क) राज्य की कोई अधीनस्थ सेवा	राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के यथा विहित चालू वेतन बैंड (पी.बी.2) 9300–34800 में 11260/– रू. का न्यूनतम वेतन एवं 3200/– रू. का ग्रेड वेतन =14460 रू. या अधिक आहरित कर रहा हो।
	(ख) राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्वशासी निकायों के या राज्य लोक सेवा उपक्रम के स्थायी कर्मचारी	उपरोक्तानुसार
	(ग) केन्द्र सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वाशासी निकायों के या केन्द्र सरकार के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के स्थायी कर्मचारी	उपरोक्तानुसार
	(घ) किसी विश्वविद्यालय या समझे गये विश्वविद्यालय, या किसी सरकारी या सहायता प्राप्त महाविद्यालय या अध्यापन अथवा अनुसंधान संस्थाओं के प्राध्यापक या अनुसंधान/प्रसार कर्मचारी	उपरोक्तानुसार
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास कार्यो में करने से संबंध कार्यो में रत प्रमाणित संस्थाओं, जिनमें रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक एजेन्सियां और उद्योग के आर एण्ड डी संगठन सम्मिलित है, में कार्यरत व्यक्ति जिन्हें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंध कार्यो का 3 वर्षो का अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों की विभाग में नियुक्ति संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के आधार पर होगी।	

एफ 1(1) वि.प्रौ. / संस्था / 2015 /   दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ / विभाग / संस्थान / विश्वविद्यालय / अनुसंधानशाला के चयन हेतु इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों के आवेदन पत्र आपकी अभिशंसा के साथ दिनांक 30.06.2015 तक भिजवाने का कष्ट करें।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / आयोजना विभाग / कृषि विभाग / पशु पालन विभाग / डेयरी विभाग / प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग / उच्च शिक्षा विभाग / उद्योग विभाग / सहकारी विभाग / सिंचाई विभाग / भू जल विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / सार्वजनिक निर्माण विभाग / ऊर्जा विभाग / तकनीकी शिक्षा विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / वन विभाग / सिंचित क्षेत्र विकास विभाग / पर्यावरण विभाग / विशिष्ठ योजनाएं एंव एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग / राजकीय उपक्रम विभाग / समाज कल्याण विभाग / जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग / खान विभाग / स्वायत्त शासन, आवासन एवं नगरीय विकास विभाग / पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर / जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर / राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर / कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा / महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, अजमेर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान आवसन मण्डल, जयपुर / राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर / आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर / अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर / अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल जयपुर।
4. आयुक्त / निदेशक / कृषि विभाग / जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग / आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग / ग्रामीण विकास एंव पंचायत राज विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / पशुपालन विभाग / मत्स्य विभाग / मुल्यांकन एवं संगठन विभाग / कॉलेज शिक्षा विभाग / जनशक्ति विभाग / उद्योग विभाग / प्रौढ़ शिक्षा विभाग / स्थानीय निकाय विभाग / समाज कल्याण विभाग / महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग / मुख्य विद्युत निरीक्षक, राजस्थान / मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स / रजिस्टार, सहकारी समितियां / मुख्य नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग / जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन नियम (रीको) / राजस्थान वित्त निगम / राजस्थान लघु उद्योग निगम / राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम / राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड / राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन / राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम / राजस्थान भूमि विकास निगम / राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम / राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम / राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम / राजस्थान राज्य वाटर रिसोंर्स डवालपमेट कार्पोरेशन / राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ (राजफैड) / राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ / राजस्थान इलैक्ट्रोनिक एण्ड इस्टूमेंट लिमिटेड, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम / राजस्थान राज्य बीज निगम / तिलम संघ / राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान जयपुर।
8. निदेशक ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर / अध्यक्ष राजस्थान प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल जयपुर / सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर।

9. क्षेत्रीय विकास आयुक्त/आई.जी.एन.पी.बीकानेर/क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सी.ए.डी. चम्बल, कोटा/जनजाति क्षेत्रीय विकास आयुक्त, उदयपुर/निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर/निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर/मुख्य अभियंता भू जल विभाग जोधपुर/मुख्य अभियंता, माही बजाज सागर, परियोजना बांसवाडा/माही हाइडेल परियोजना बांसवाडा/मुख्य अभियंता, सिंचाई क्षेत्र विकास परियोजना, आई.जी.एन.पी. बीकानेर/निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर।

10. रजिस्ट्रार/राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर/सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर/जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर/ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर /कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा /राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर।

11. प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, जयपुर/ अजमेर /उदयपुर /जोधपुर /बीकानेर/कोटा /मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर/इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा/एम.बी.एम. इंजीनियंरिग कॉलेज जोधपुर/कॉलेज ऑफ टेंक्नोलोजी एण्ड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उदयपुर।

12. निदेशक सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी/सेंट्रल शीप एण्ड बूल रिसर्च इस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा जिला टोंक/सेंट्रल एंरिड जोंन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर/रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर/शुष्क क्षेत्र वानिकी संस्थान, जोधपुर/राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान जोडबीट बीकानेर/पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन।

प्रतिलिपि सूचनाऐं एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।

14. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एस.आर.एस.ए.सी.जोधपुर/ परियोजना अधिकारी /अनुसंधान अधिकारी / क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कोटा/ उदयपुर/ बीकानेर/जोधपुर/अजमेर (मुख्यालय जयपुर)/क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र व विज्ञान पार्क, जयपुर है।

15. निजी सहायक, निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।

16. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव

Format of Application

PLEASE AFFIX YOUR LATEST COLOUR PHOTOGRAPH

Name of the post applied for:

....

1. Name of the Applicant

....

(Full name in Capital) (Name) (Surname)

2. Name of Father/Husband:...

3. Sex: ....

4. Complete Address: ....

....

....

....

5. Contact: (Res.with STD).. (M)...

6. Email ID: ....

7. Nationality: ....

8. Place of birth: (DISTRICT).......................................(STATE)...

9. Candidate Mother tongue: ....

10. Language(s) can read/write:...

11. (a) Date of birth :

(b) Age as on 1st April 2015 .... Years .... Months .... days

12. Qualification: As on 01.04.2015 ....

EXAMINATION PASSED	SUBJECT	YEAR OF PASSING	NAME OF BOARD/UNIVERSITY	% MARKS	DIVISION / GRADE
SECONDARY					
SR. SECONDARY					
GRADUATION					
POST GRADUATION					
M.PHIL					
PH.D.					
DIPLOMA					
CERTIFICATE					

13. (a) Designation/post held : ....

(b) Office/place of posting: ....

14. (a) Basic Pay of the Post held : ....

(b) Running pay band and Grade pay of the Post held :...

(c) Date of Ist ACP/ 2nd ACP :

....

15. (a) Name of the service/Department to which belongs : ....

....

(b) Post held in the present cadre/Department:

(i) On substantive basis : ....

(ii) On officiating basis : ....

16. Seniority in the present cadre: ....

17. Whether the present post is held after regular selection though PSC/DPC/Screening Or any urgent Temporary/adhoc basis (please specify clearly):......................................

....

18. Date of Entry into Govt. service with designation: ....

19. If holding Gazetted Post in Parents Cadre then Mention:

(a) Date: ....

(b) Name of the post: ....

20. Details of various postings since Beginning up to date:

Name of the post held	Office/place of posting	Duration			Nature of Job/Work
		From (Date)	To (Date)	Total Period	

21. (a) Total Job Experience in Years:..

(b) Job experience in Years as per requirement of the post: ....

22. Analysis of Experience:

23. Training programme attended:

Name of the Programme/Course	Name of the Organizing Institution	Duration		
		From (Date)	To (Date)	Total Period

24. Whether ever punished or any enquiry pending (give details):

25. Conditions for Acceptance, if offered:..

26. Time need to join the service, if selected:...

Signature of Candidate with date:

DECLARATION

I hereby declare that:

1. The entries made in this application form are true and correct to the best of my knowledge and belief. If any part of the information given is found to be false or incorrect, I shall forfeit the claim to the post and will be liable to the disciplinary action.
2. I have not been convicted by a Court of Law for any offence.
3. I have not indulged in any of the acts of misconduct such as participating in Gherao of any official authority, whether academic or administrative, manhandling or abusing such authority or damaging any building or other property.
4. I have not been found to have used unfair means in any examination and have not gravely misbehaved with officer or my superior or found to have tampered with or forged a marks-sheet, certificate or degree.
5. I have read and understood all the relevant information, terms and conditions.

Signature of the Applicant

Date:

Place:

REMARKS OF THE PRESENT EMPLOYER

(In the case of those already in service)

The applicant Mr./Mrs./Miss -- is holding a permanent/temporary post of -- in the pay band -------- and pay grade of Rs. --------- and his/her present basic pay is Rs. ----------------- p.m. His/Her application is forwarded and he/she will be relieved in case he/she is selected for post applied for.

Signature

Date:

Place: **(Designation Office Seal)**

<u>**CHECKLIST**</u>

1. Self attested copies of documents in support of Qualifications, Experience.
2. Candidates already in service should apply through their present employer and submit the remarks of employer in format given.
3. Employée of NGO should submit their forwarding remarks by employer as per terms & conditions of recruitment rules of the Department mentioned in its rules of appointment at S. No. 2.
4. Attach separate sheets wherever necessary.